

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-27.4.18

संख्या-12/विविध-5009/16-सा0प्र0- 5574 /विभागीय आदेश सं0 5499 दिनांक 25.4.2018 के द्वारा 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) परीक्षा के सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, पटना को दिनांक 27.4.18, 28.04.18, 29.04.18 एवं 04.05.18 के लिए की गई प्रतिनियुक्ति में से दिनांक 29.4.2018 के लिए मुक्त किया जाता है तथा उनके स्थान पर श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, को0 क0- 1011/11, सहायक निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना को उक्त आदेश के द्वारा पूर्व में दिनांक 04.5.2018 को की गयी प्रतिनियुक्ति के साथ साथ दिनांक 29.4.2018 को भी सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

विभागीय आदेश सं0 5499 दिनांक 25.4.2018 की शेष बाते यथावत रहेंगी ।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-5009/16-सा0प्र0- 5574 /पटना, दिनांक- 27.4.18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव